Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to restore old pensions scheme (OPS)-laid.

श्री दीपक बैज (बस्तर): देश में वर्ष 2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) लागू है, जो बैंको एंव बीमा कंपनियों के जरिए संचालित है । इसके तहत कोई भी नागरिक अपने मनमुताबिक राशि जमा कर, एक समयावधि उपरांत पेंशन ले सकता है । केन्द्रीय कर्मचारी इस पेंशन योजना को लेने हेतु एक तरह से बाध्य हैं । इसमें कई विसंगतियों के कारण तभी से केन्द्रीय कर्मचारियों के संगठन पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की मांग कर रहे हैं पर केन्द्र सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है । एनपीएस में कई विकल्प हैं और यह शेयर मार्केट लिंक्ड इंवेस्टमेंट हैं, जिसके कारण निवेश पर मिलने वाला रिटर्न अनिश्चित है और कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर कम पेंशन मिल रही है, जो महंगाई में गुजारे लायक नहीं है । मेरी मांग है कि सरकारी कर्मचारियों के संगठनों की मांगों पर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) पुनः लागू करे जिससे कर्मचारियों को सेवानिवृत्त पर सम्मानजनक गुजारे लायक पेंशन मिले।